

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/01/2018-अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 26 मार्च, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री रिगिजयन सम्फेअल, आईएएस (यूपी:2003) के उत्तर प्रदेश संवर्ग से जम्मू-कश्मीर संवर्ग में, अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए वैयक्तिक आधार पर अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी (नई दिल्ली)